न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—62 / 2017 (2017 / 00169) वाद पत्र

अनवान

1. देवा पिता भज्जा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. मांगीलाल पिता रूपा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोपी पिता घीसा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगीलाल पिता रायमल गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. जाकिर हुसैन — वादी अधिवक्ता
2. सुनील जैन — प्रतिवादी अधिवक्ता

दिनांकः—23.06.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मासिंगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर की बैरून हल्का आबादी में वादी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात संख्या 1663 / 1021 रकबा 0.49 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात वादीगण के स्वामित्व की है परन्तु प्रतिवादीगण आए दिन वादीगण की भूमि पर नाजायज दखलदांजी करते रहते है दिनांक 30.07.2015 को प्रतिवादीगण ने वादी की आराजियात की थोहर की बाड़ को गिरा दिया तथा वादी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाना शुरू कर दिया इस पर वादी ने प्रतिवादीगण को ओलांबा दिया व वादी की भूमि पर कब्जा नहीं करने की बात कही तो प्रतिवादीगण ने कहा कि ये जमीन हमारी हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की वादग्रस्त भूमी पर अवैध कब्जा करने पर वादी ने अपनी भूमी की पत्थर गढी करवाई जिस पर पत्थर गढ़ी के निर्णय की पालना में वादी की उक्त भूमी की दिनांक 31.12.16 को पत्थरगढ़ी की जाकर मौका पर्चा तैयार किया गया जिसमें प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमी पर 0.03 हैक्ट पर अवैध कब्जा पाया गया। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाए जाने पर वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमी से अवैध कब्जा हटाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण आज कल में हटाने की बात कह कर टालमबाजी करते रहे व दिनांक 30.8.2017 को अंतिम बार वादी द्वारा प्रतिवादीगण को अवैध कब्जा हटाने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण अवैध कब्जा हटाने से इंकार हो गए जिससे प्रतिवादीगण के विरुद्ध बेदखली की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हो गया है। वादग्रस्त भूमी पर प्रतिवादीगण आए दिन दखलंदाजी करते रहते हैं व वादी की फसल को नुकसान पहुंचाते रहते हैं व वादी की भूमी पर अवैध रूप से पक्का निर्माण करने पर आमादा हो रहें हैं। जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें तथा वादी की भूमी पर अवैध जबरन ताकत के बल पर पक्का निर्माण नहीं करें। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की बेदखली

की डिक्री जारी फरमाई जाए कि ग्राम मासिंगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा में स्थित कृषि आराजी संख्या 1663 / 1021 रकबा 0.49 है0 मे से प्रतिवादीगण का 0.03 है0 से अवैध कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलाए जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान किया जावे साथ ही बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाय कि प्रतिवादीगण वादी की आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे व किसी अन्य से करावे व वादीगण की भूमि पर जबरन पक्का निर्माण नही करे तथा वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया एव प्रतिवादी संख्या 4 फोरमल पक्षकार है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अपने प्रतिवाद में अंकन किया कि प्रतिवादीगण ने वादी की आराजियात् की थोहर की बाड को दिनांक 30.07.2015 को गिरा कभी भी कब्जा नहीं किया बल्कि वास्तविकता यह है कि वादी जिस भू–भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करना बता रहा है वह भू–भाग आबादी के मध्य स्थित होकर उस स्थान पर प्रतिवादीगण का आवासीय मकान बना हुआ है जिसका विधिवत् पट्टा विलेख ग्राम पंचायत मोखुन्दा द्वारा प्रतिवादी सं. एक की पत्नि के नाम जारी कर रखा है। प्रतिवादीगण के पास पट्टा विलेख में अंकित सीमा से अधिक मौके पर भूमि का आधिपत्य नहीं है। वादी ने जिस प्रकार से कथन किया है उसमें लेशमात्र भी सत्यता होती तो वादी तत्समय दिनांक 30.07.2015 की घटना को लेकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाता, वादी का उक्त कथन के बारे में मौन रहना यह दर्शाता है कि वादी ने यह वाद पत्र मिथ्या तथ्यों को समाविष्ट करते हुए प्रतिवादीगण को जलील व परेशान की नियत से प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। जिस मौके पर्चे के आधार पर वादी ने यह वाद पत्र प्रस्तुत करते हुए 0.03 हे. भूमि का आधिपत्य प्रतिवादीगण से चाहा है उक्त कथन मौके पर्चे से प्रमाणित नहीं है जिससे वादी का उक्त कलम में अंकित कथन कानूनन ग्राहय योग्य नहीं होने से वाद पत्र काबिल निरस्त योग्य है। प्रतिवादीगण का मौके पर आधिपत्य साधिकार है। वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 30.08.2017 को आधिपत्य हटाने बाबत् नहीं कहा और न ही वादी को इस बाबत कहने का अधिकार ही है। वादी ने उक्त कलम में प्रतिवादीगण को किस स्थान से कितने रकबे पर से अपना आधिपत्य हटाने बाबत् कहा तनिक भी कथन नहीं किया है जिससे वादी का यह वाद पत्र प्रथम दृष्टया ही अपूर्ण होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। वादी एक तरफ तो प्रतिवादीगण का आधिपत्य होना अपने वाद पत्र में बता रहा है और दूसरी तरफ उक्त कलम में वादी यह कथन कर रहा है कि प्रतिवादीगण आये दिन दखलदांजी व वादी की फसल को नुकसान पहुँचाने का कृत्य कर रहें है उक्त दोनों कथन एक–दूसरे के विपरीत है। वादी द्वारा उक्त कलम में इस प्रकार से कथन किया जाना ही यह दर्शित करता है कि वादी द्वारा गलत तथ्यों को समाविष्ट करते हुए यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिससे वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतिरिक्त कथन के रूप में प्रतिवाद पत्र में वर्णित कथन को दोहराते हुए बताया कि यदि मौके पर्चे का अध्ययन किया जाए तो उसमें प्रतिवादी संख्या 1 के साथ राजी पत्नि लच्छु गुर्जर का भी आंशिक भाग पर कब्जा पाया गया ऐसा अंकन किया गया है लेकिन वादी ने राजी पत्नि लच्छु गुर्जर को इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाया

इसके अलावा मौके पर्चे में कही भी यह अकिंत नही है कि कितने भूभाग पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का आधिपत्य है जब मौका पर्चा ही अस्पष्ट है तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का कब्जा होना कैसे मान सकते है। अतः सादर प्रार्थना है कि उक्त प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

वाद और प्रतिवाद के आधार पर तनकियात कायम की गई।

1. आया ग्राम मासिंगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा की आराजी संख्या 1663/1021 रकबा 0.49 है0 भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जिस पर 0.03 है0 पर प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर लिया जिससे वादी कब्जेयापी की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।
जिम्मे वादी

2. आया वादी अपनी खातेदारी कृषि आराजी संख्या 1663/1021 रकबा 0.49 है0 पर प्रतिवादीगण द्वारा दंखलदांजी करने से स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।
जिम्मे वादी

3. आया वादग्रस्त आराजी संख्या 1663/1021 रकबा 0.49 है0 पर प्रतिवादीगण का कितना रकबा पर कब्जा होने का अंकन वादपत्र में नही होने से वादी का वाद खारीज होने योग्य है।
जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया वादीगण द्वारा जिस स्थान पर कब्जा बताया गया है उस जगह प्रतिवादीगण का मकान बना होकर पट्टा बना हुआ है जिससे वादी का वाद खारीज होने योग्य है। जिम्मे प्रतिवादीगण

5. अनुतोष ?

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम मासिगपुरा में वादीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण आये दिन परेशान करते है और बाड़ को काट दी जिस पर वादी के द्वारा पत्थरगढ़ी कराने पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जो जवाब पेश किया गया है उसमे लिखा है कि कब्जा कितने रकबे पर है स्पष्ट अंकन नही किया जबकी वादपत्र के कॉलम संख्या 3 में 0.03 है0 भूमि पर कब्जा होना अकिंत किया है। वादवर्णित भूमि देवा पिता भज्जा के नाम खातेदारी में जरिये नामान्तकरण 561 दिनांक 30.06.2015 से विभाजन अनुसार दर्ज हुई है जिससे नेनी के नाम भूमि दर्ज नही है इसलिये नेनी को पक्षकार नही बनाया गया है और राजी के द्वारा कब्जा हटा दिया जिससे राजी को भी पक्षकार नही बनाया गया है। वादी के द्वारा प्रकरण में साक्ष्य करायी गई। जमाबन्दी नक्शा ट्रेस पर्चा मौका पेश किया। प्रतिवादीगण किस आधार पर बैठे है कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है। अतः वाद स्वीकार करना फरमावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण जिस भू भाग पर प्रतिवादगण का कब्जा बता रहा है वह आबादी भूमि है। प्रतिवादी के पास आबादी भूमि का पट्टा विलेख है और पट्टे में अकिंत सीमा से अधिक मौके पर कब्जा नही है। जिस पर्चे मौके के आधार पर वादी ने वाद पेश किया है वो पर्चे मौके से प्रमाणित नही है। किस दिशा की तरफ कितने भु भाग पर कब्जा है वो स्पष्ट नही है। प्रतिवादी का कोई कब्जा नही है। वाद जिस तरह लाया गया है उस तरह से प्रमाणित नही है। इस प्रकरण में नेनी को पक्षकार संयोजित नही किया गया वाद त्रुटिपूर्ण है। पर्चे मौके में राजी का कब्जा होना अंकित है किन्तु राजी को भी पक्षकार नही बनाया गया है। वादीगण का वाद विरोधाभाषी है प्रतिवादी का अपने

पूर्वजो के समय से ही यानि 150 वर्षो से आधिपत्य है जिससे वादी का यह वाद अवधि बाहर होकर काबिल खारीज होने योग्य है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, वाद, प्रतिवाद, बयान आदि का अवलोकन करने पर तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया ग्राम मासिंगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा की आराजी संख्या 1663/1021 रकबा 0.49 है0 भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जिस पर 0.03 है0 पर प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर लिया जिससे वादी कब्जेयापी की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है।

जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने भार वादी पर था। वादी के द्वारा इस तनकी के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 की खाता संख्या 273 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 1 है। नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया जो प्रदर्श 2 है। पर्चा मौका प्रस्तुत किया जो प्रदर्श 3 है प्रतिवादी के द्वारा अपने जवाब में कथन किया की प्रतिवादी का कब्जा वादी की भूमि नहीं होकर आबादी भूमि पर जिसका पट्टा प्रतिवादी 1 की पत्नी के नाम पर है। प्रदर्श 3 मौका पर्चा दिनांक 31.12.2016 का अवलोकन किया जिसमें आराजी नम्बर 1663/1021 प्रतिवादी 1 मांगीलाल पिता रूपा एवं राजी पत्नी लछु गुर्जर का आंशिक भाग पर कब्जा पाया गया है। उक्त कब्जा किस भाग की ओर पाया गया यह स्पष्ट नहीं है जबकि प्रतिवादी अपना कब्जा पट्टे के आधार पर आबादी भूमि पर होना साबित कराया है। वादी द्वारा इस तनकी को प्रमाणित कराने में असफल रहा है जिससें इस तनकी का निर्णय विरूद्व वादी किया जाता है।

2. आया वादी अपनी खातेदारी कृषि आराजी संख्या 1663/1021 रकबा 0.49 है0 पर प्रतिवादीगण द्वारा दंखलदांजी करने से स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है।

जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी द्वारा इस तनकी के समर्थन में प्रदर्श 3 पर्चा मौका प्रस्तुत किया जिसमे यह अकिंत किया गया कि प्रतिवादी का वादी की आराजियात के आंशिक भाग पर कब्जा पाया गया। इस पर्चे मौके मे सम्बधित भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा रकबे का कही अंकन नही किया गया है कि आंशिक भाग का रकबा कितना है यह स्पष्ट नही है और वादी वाद पत्र में प्रतिवादी का कब्जा 0.03 है0 पर होना दर्शाते हुए वाद पेश किया गया है जो किसी भी दस्तावेज से प्रमाणित नही हो रहा है। वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रतिवादी का कब्जा वादी की खातेदारी आराजी पर 0.03 है0 भूमि पर कब्जा है जबकि प्रतिवादी द्वारा यह साबित कराया है कि जहां उनका कब्जा है वह आबादी भूमि है जिसका प्रतिवादी 1 की पत्नि के नाम पट्टा है जिसकी प्रति पत्रावली में पेश की गई है। इस प्रकार वादी इस तनकी को साबित कराने में असफल रहा है जिससे इस तनकी का निर्णय विरूद्व वादी किया जाता है।

3. आया वादग्रस्त आराजी संख्या 1663/1021 रकबा 0.49 है0 पर प्रतिवादीगण का कितना रकबा पर कब्जा होने का अंकन वादपत्र में नही होने से वादी का वाद खारीज होने योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को साबित कराने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी के समर्थन में प्रदर्श 3 जो पर्चा मौका है जिस पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया। वादी द्वारा वादपत्र के कॉलम 3 में प्रतिवादीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि 0.03 है0 पर कब्जा होना अंकित किया है उक्त रकबा किस दस्तावेज से उठाया गया है जिसका कोई विवरण पत्रावली में नही है। जिस पर्चे मौके के आधार पर वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया

है उस पर्चे मौके में 0.03 है0 भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा होने का कोई अंकन नही होने से वादी के वाद को बल नही मिलता है जबकि प्रतिवादी अपना कब्जा वैध बताते हुए दस्तावेज पेश किया है। इस तनकी को प्रतिवादी के द्वारा पूर्णतः प्रमाणित कराया है जिससे इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

4. आया वादीगण द्वारा जिस स्थान पर कब्जा बताया गया है उस जगह प्रतिवादीगण का मकान बना होकर पट्टा बना हुआ है जिससे वादी का वाद खारीज होने योग्य है। जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी के समर्थन मे ग्राम पंचायत मोखुन्दा के द्वारा जारी आबादी भूमि का पट्टा (विक्रय नामा) दिनांक 25.11.2009 का पेश किया गया जो प्रदर्श डी–1ए है। उक्त पट्टे को जारी हुए 12 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और विपक्षी वक्त जारी पट्टे की दिनांक से काबिज है। वादी के द्वारा कही भी यह प्रमाणित नही कराया कि प्रतिवादी का कब्जा वादी की भूमि पर है। ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा आबादी भूमि में जारी किया जाता है न कि कृषि भूमि पर। प्रतिवादीगण का कब्जा पट्टे में वर्णित भूमि पर होना प्रतिवादी के बयान से प्रमाणित है और प्रतिवादी जितने वर्गफीट भूमि का पट्टा है वहां तक प्रतिवादी के स्वामित्व की भूमि है। वादी की ओर से कही भी साबिक नही कराया कि प्रतिवादी का कब्जा आबादी के पट्टे में वर्णित भूमि से अधिक है। प्रतिवादी इस तनकी को साबित कराने में सफल रहने से इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

5. अनुतोष ?

उपरोक्त तनकीवार निर्णय अनुसार मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा कि प्रतिवादी का कब्जा वादी की भूमि पर होना दर्शाते हुए वादी द्वारा वाद पेश किया गया। इस वाद के अनुसार 0.03 है0 भूमि प्रतिवादी का कब्जा होने सम्बन्धि ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रतिवादी का कब्जा वादवर्णित भूमि पर हो बल्कि इसके विपरीत प्रतिवादी के द्वारा यह स्पष्ट प्रमाणित कराया कि प्रतिवादीगण का कब्जा वादी की भूमि पर नही होकर आबादी भूमि पर है और इस बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत मोखुन्दा के द्वारा पंचायत राज नियमावली 1996 के नियम 167 (1) के तहत् दिनांक 25.11.2009 को आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया है। इस पट्टे में वर्णित भूमि का मालिक पट्टा ग्रहिता है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रमाणित कराने में असफल रहने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद को प्रमाणित कराने में असफल रहने से वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी खारीज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

23-06-2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–62 / 2017 (2017 / 00169) वाद पत्र

अनवान

1. देवा पिता भज्जा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. मांगीलाल पिता रूपा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोपी पिता घीसा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगीलाल पिता रायमल गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद को प्रमाणित कराने में असफल रहने से वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी खारीज किया जाता है।

डिक्री आज दिनांक 23.06.2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर सुनायी गयी।

23.06.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)